कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः 3110/मु0रा0ले0/दैवी आपदा/ राशन किट क्रय– ई–टेण्डरिंग /2021–22 दिनांक 21 अप्रैल 2021

कार्यालय ज्ञाप

कोविड–19 से प्रभावित व्यक्तियों को पका भोजन पैकेट(जिसमें रोटी, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल एवं अचार पर्याप्त मात्रा में स्थानीय सुविधानुसार औचित्यपूर्ण परिवर्तनीय मेन्यू के अनुसार) भोजन की अधिकतम कीमत रू0 40/–निर्धारित है। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री जिसमें **आटा 05 कि0ग्रा0, चावल 05 कि0ग्रा0, दाल अरहर/उड़द/मूंग/मसूर 01 कि0ग्रा0, रिफाइन्ड/सरसों का तैल 01 लीटर, आलू 03 कि0ग्रा0 (नमक 01 कि0ग्रा0, हल्दी 200ग्राम, धनिया 200 ग्राम लालमिर्च 200 ग्राम पैकेट में)** समस्त सामग्री को एक गत्ते,/बोरे/डिब्बे में व्यवस्थित रखकर प्रति पात्र व्यक्ति/परिवार को उपलब्ध कराया जाना है।

राशन किट एवं पका भोजन पैकेट की आपूर्ति ई–टेण्डरिंग के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु रजिस्टर्ड इकाइयों/संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 22.4.2021 से दिनांक 01.05.2021 तक अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रतिभाग किया जा सकता है। दिनांक 01.05.2021 को अपरान्ह 4.00 बजे निविदा खोली जायेगी। निविदा की समस्त शर्ते एवं नियम जनपद के पोर्टल Ambedkarnagar.nic.in की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे देखा जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
अम्बेडकरनगर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

01– जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर को सादर सूचनार्थ।

02– जिला सूचना अधिकारी अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में सशुल्क 8x12 सेमी की साइज में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

03– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) अम्बेडकरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04 नाजिर सदर कलेक्ट्रेट अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः मे०नि०/मु०रा०ले०/दैवी आपदा/ राशन किट क्रय- ई-टेण्डरिंग-शर्तें /2021-22 दिनांक 20 अप्रैल 2021

नियम एवं शर्तें-

01. राशन किट का क्रय ई-टेण्डरिंग के माध्यम से खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
02. ई-टेण्डरिंग के माध्यम डाली गयी निविदा का समस्त अभिलेख एवं राशन किट का नमूना अपर जिलाधिकारी कक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
03. आपूर्ति किये गये राशन किट के सम्बन्ध में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
04. आपूर्तित संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा, जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम अंकित करना होगा कि राशन किट राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिये नहीं है।
05. शासनादेश संख्या-190/एक-10-2020-33 (221)टी० सी०-2 दिनांक 20 अप्रैल 2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में राशन किट के क्रय की कार्यवाही की जायेगी।
06. वांछित राशन किट आदेश प्राप्त होने के बाद आपूर्तित संस्था को प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
07. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाले राशन किट अपने व्यय पर सम्बन्धित तहसील स्थल पर पहुचाना होगा।
08. वाणिज्य विभाग में (उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत) वैध पंजीकृत होना अनिवार्य है। पैन, टैन व जी०एस०टी०नम्बर आदि समस्त आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न करे।
09. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।
10. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालयीय क्षेत्राधिकार अम्बेडकरनगर होगा।

अपर जिलाधिकारी
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकरनगर।